कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद (म0प्र0)

पृ0 कमांक 159 /सां0लि0/2020 होशंगाबाद,दिनांक 29/01/20

आदेशानुसार,

रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी/304, दिनांक 28.01.2020 की प्रतिलिपि :–

01– विशेष न्यायाधीश,होशंगाबाद
02– प्रथम/द्वितीय/तृतीय अति0 जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद/पिपरिया/सोहागपुर/इटारसी
03– प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद
04– प्रथम /द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया
05– प्रथम व्य0 न्यायाधीश वर्ग–1,होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद
06– प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, होशंगाबाद/पिपरिया/इटारसी
07– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, सोहागपुर/सिवनी मालवा
08– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिपरिया
09– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय /तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद (ट्रेनी जज)
10– प्रस्तुतकार सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद

की ओर सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित विचाराधीन बंदियों की उपस्थिति से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने के निवेदन के साथ अग्रेषित।

29/01/2020

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

ज्ञापन

जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी 2020

क्रमांक C/304

III-2-15/2004

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

समस्त, (म.प्र.)

विषयः— विचाराधीन बंदियों को संबंधित न्यायालयों के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित न रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराये जाने बाबत् प्राप्त पत्र।

संदर्भः— महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.) के द्वारा पत्र क्र. 17224/वारंट–1/2019 दिनांक 30.12.2019.

— — —

यथानिर्देश उपरोक्त संदर्भित विषयक, अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जेलो एवं न्यायालयों के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की स्थापना कर विचाराधीन बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा रही है, परंतु प्रायः देखने में आया है कि, अनेक न्यायालयों द्वारा अधिकांश विचाराधीन बंदियों को नियत पेशी दिनाक पर भौतिक रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखने के निर्देश संबंधित जेल अधीक्षकों को दिये जा रहे है। समय पर पुलिस गार्ड उपलब्ध न होने के कारण यदि जेल अधीक्षकों द्वारा बंदियों को नियत पेशी दिनांको पर न्यायालय के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित नहीं रखा जाता है तो संबंधित न्यायालयों द्वारा जेल अधीक्षकों को नोटिस आदि भी जारी किये जा रहे है। भौतिक रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखने के लिए यदि विचाराधीन बंदियों को पेशी हेतु पुलिस गार्ड के हस्ते भेजा जाता है तो बंदियों की सुरक्षा प्रभावित होने के साथ–साथ उनके पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की संभावना बनी रहती है।

अतः अनुरोध है कि, उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विचाराधीन बंदियों को संबंधित न्यायालयों के समक्ष भौतिक रूप से न रखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जावे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(बी.पी.शर्मा)
रजिस्ट्रार (डी०ई०)

जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी 2020

क्रमांक C/305

III-2-15/2004

प्रतिलिपिः— महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.) की ओर उनके पत्र क्र. 17224/वारंट–1/2019 दिनांक 30.12.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/-
(बी.पी.शर्मा)
रजिस्ट्रार (डी०ई०)

—::—